ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखों काअंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत चबूतरा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अनुबाला	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कमल कान्त	01.04.2022 से 21.11.2022
2.	श्री महेंदर सिंह	21.11.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹) (लाखों में)
1	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	21.57
2	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.05
3	8.1	रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित न करना	1.56
4	8.2	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.16
5	9.1	मनरेगा शीर्ष से किये गये निर्माण कार्यों हेतू अधिक भुगतान करना	0.08
6	9.2	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	6.10
7	9.3	प्रत्येक क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व् खपत / जारी करने से सम्बंधित अभिलेख दर्ज न करना	5.11
8	9.4	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.77

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2017 से 31/03/2019

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1	पैरा-3	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन/अभियान के दौरान निर्णीत)
2	पैरा-4 (i, ii, iii)	निर्णित।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
3	पैरा-4(iv)	अनिर्णीत।	
4	पैरा-5	निर्णित।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4.4 में पुन: प्रारूपित।

5	पैरा-6	अनिर्णीत।	
6	पैरा-7	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन/अभियान के दौरान निर्णीत)
7	पैरा- 8	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन/अभियान के दौरान निर्णीत)
8	पैरा-9	अनिर्णीत।	
9	पैरा-10(i)	अनिर्णीत।	
10	पैरा-10(iii)	अनिर्णीत।	
11	पैरा-10(iv)	अनिर्णीत।	
12	पैरा-11	अनिर्णीत।	
13	पैरा-11(i)	अनिर्णीत।	
14	पैरा-11(ii)	अनिर्णीत।	
15	पैरा-11(iii)	अनिर्णीत।	
16	पैरा-13	अनिर्णीत।	
17	पैरा-14	अनिर्णीत।	
18	पैरा-15	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन/अभियान के दौरान निर्णीत)
19	पैरा-16	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन/अभियान के दौरान निर्णीत)
20	पैरा-17	अनिर्णीत।	
21	पैरा-18	अनिर्णीत।	
22	पैरा-19	अनिर्णीत।	
23	पैरा-20	अनिर्णीत।	
24	पैरा-21	अनिर्णीत।	
25	पैरा-22	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।
26	पैरा-23	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.04.2024 से 27.04.2024 तक ग्राम पंचायत चबूतरा के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	02/2023	05/2022
2023-24	02/2024	07/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33/2024 दिनांक 26/04/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत चबूतरा द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमिति सुजानपुर, हमीरपुर, DDO NO-KAA200336 दिनांक 02.05.2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत चबूतरा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनांक 20.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आठ रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही), स्वच्छ भारत मिशन(PFMS) (Online), अनुदान (प्लानिंग शीर्ष)(Online),

14वां वित्तायोग (Online), 15वां वित्तायोग (Online), अनुदान (RGSA), अनुदान (MPLAD) व् मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था |

(1)(क) स्व: स्त्रोत व अनुदान (online)(समेकित) :-

ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग(₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष(₹)
2022-23	278513.77	167813	446326.77	190739	255587.77
2023-24	255587.77	125683	381270.77	68791	312479.77

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग(₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष(₹)
2022-23	4168752.76	7533974.91	11702727.67	8570351.33	3132376.34
2023-24	3132376.34	6239189.16	9371565.50	7527013.27	1844552.23

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	4447266.53	7701787.91	12149054.44	8761090.33	3387964.11
2023-24	3387964.11	6364872.16	9752836.27	7595804.27	2157032

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	PNB chabutra	1719000101070200	1334245.92
	PNB Chabutra	1719000101072460	209339

	Indusland Bank	100200906666	12603
	PNB Chabutra	1719000101065760	1588
	PNB Chabutra	1719000101063710	462
	PNB Chabutra	1719000101048350	8347.31
	PNB Chabutra	1719000101048370	4
	KCCB Sujanpur	20042005046	312464.77
	Indusland Bank Hamirpur	100118163472	277963
		योग	**2157017.00**
2		हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	15.00
		योग (1+2)	**₹2157032.00**

(3) बैंक समाधान विवरणी :-

1)	स्वः स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	312479.77
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	1844552.23
3)	दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" **व** "**ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	**2157032**
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता "**क**" **व** "**ख**" का कुल अंतिम शेष	2157017
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	15
6)	योग (4+5)	**₹2157032**
7)	**अन्तर (3-6)**	**0**

(4) लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थीं | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनांक 20.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 24 दिनांक 27.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण खाता-ख खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA (5) C (15)-(13) L 5-47005-81 दिनाँक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता – **"क"** व खाता- **"ख"** अलग-अलग से तैयार नहीं किया गया था। जो कि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है और इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता

के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार रोकड़ बही व स्कीमवार बैंक खातों का रख-रखाव किया जाए और ई-ग्राम स्वराज पर रोकड़ बही का अद्यतन सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनाँक 20.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 24 दिनांक 27/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था।

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹21.57 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनांक 20.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"क")** सम्मिलित **(स्वयं स्त्रोत व अनुदान) सहित** पर सलंग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में **₹2157032/-** की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनाँक 20.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 26 दिनाँक 27.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये, तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनांक 20.04.2024 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 24/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनांक 20.04.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 24/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है।

यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे उन्हें अपेक्षित उद्देश्य हेतु ही व्यय किया गया है अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत को अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनांक 20.04.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 26 दिनांक 27/04/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान गृहकर की देय राशि की पूरी वसूली कर ली गई थी।

अत: 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व/ गृहकर की कोई भी देय राशि शेष नहीं थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	32450	34200	66650	66650	0
2023-24	0	34200	34200	34200	0

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)- 1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि **₹4850**/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण (**परिशिष्ट "ख"**) में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25/2024 दिनांक 20.04.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 26/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को उक्त नियम प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसे शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप राशि ₹1.56 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 हेतु चयनित माह 05/2022 व 07/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न (परिशिष्ट "ग")** अनुसार राशि ₹155620.28 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32/2024 दिनांक 26/04/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 26/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई थी, जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अत: राशि ₹155620.28/- के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.16 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 05/2022 व 07/2023 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹784480/-** (जी.एस.टी. को छोडकर) एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित राशि ₹250000/- से अधिक राशि का भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹15689.6** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	**चयनित माह**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**	**250000/- से अधिक राशि (₹)**	**जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)**
1	05/2022	Onkar chand verma, vpo chabutra	रेत, बजरी, ढुलाई, पत्थर इत्यादि	529880	279880	**5598/-** (2% x 279880)
2	05/2022	Avnish sharma, vill- Paddar	रेत, बजरी, , पत्थर, ढुलाई इत्यादि	254600	4600	**112** (2% x 4600)
			योग	**784480**	**284480**	**5710/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31/2024 दिनांक 26/04/2024 की अनुपालना में पत्र संख्या 26/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित राशि ₹5710/-जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो/व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 मनरेगा शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री सीमेंट, रेत और बजरी को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 05/2022 व 07/23 में मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री सीमेंट, रेत और बजरी को खपत से अधिक जारी करने के कारण राशि **₹8365/-** का अधिक भुगतान किया गया था :-

(1) निर्माण कार्य का नाम :- C/O Drain Keval Krishan House Nala :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**रूपांतरण कारक**	**सीमेंट (बैग)**
34026, 78	CC 1:3:6	8.86	4.4	**38.98**
	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा			47
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**8**
	क्रय दर			312.52 प्रति बैग
	अधिक भुगतान (8 x 312.52 bag)			2500.16
	कुल अधिक भुगतान राशि			**₹2500/-**

(2) निर्माण कार्य का नाम :- C/O Drain Kewal Krishan House to Nala :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**रूपांतरण कारक**	**रेत (CFT)**	**रूपांतरण कारक**	**बजरी (CFT)**
9321 31	CC 1:3:6	**8.86**	(.47 x 35.31)	**147.03**	(.89 x 35.31)	**278.43**
	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा			200		400
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**53**		**122**
	क्रय दर (₹)			37/cft		32/cft
	अधिक भुगतान (53×37)+(122 ×32)			1961		3904
	कुल अधिक भुगतान (1961+3904)			**₹5865/-**		

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 34/2024 दिनांक 27/04/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 26/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों के अधिक भुगतान राशि **₹(2500 +5865=8365)** के भुगतान की वसूली हेतु (रसीद No–78043) काट ली गई है तथा जिसके इन्द्राज व जमा दिनांक

16.05.2024 द्वारा करके रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 92 की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर कर ली गई है।

अतः इस तरह के मामलों की पुरावृति पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कदम उठाये जायें।

9.2 राशि ₹6.10 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 05/2022 व 07/2023 में **सलंग्न (परिशिष्ट "घ")** अनुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए प्रस्तुत बिलों के अन्तर्गत नियमानुसार राशि **₹610098/-** का भुगतान किया गया था।

जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 36/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 26/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अत: नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की पूर्ण जांच नहीं हो सकी | अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.3 राशि ₹5.11 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टोर सामान के प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान चयनित माह 05/2022 व 07/2023 में **सलंग्न (परिशिष्ट "ङ")** अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के प्रस्तुत बिलों के समर्थन में नियमानुसार राशि **₹511535/-** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थीं।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चबूतरा के ध्यानार्थ यह प्रकरण लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 26/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में करके अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान का स्टॉक इन्द्राज न करना एक गम्भीर अनियमितता है |

अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत किये जायें |

9.4 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना राशि ₹0.77 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं |

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **निम्न विवरणानुसार** पंचायत द्वारा राशि **₹77249/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आदि औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है |

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/2024 दिनांक 27.04.24 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 26/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अंकेक्षण में दिए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना आगामी समय में कर ली जाएगी | प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है |

अत: नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने व औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या/ माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	0	102 08/21	M/S PATYAL TRADERS CHABUTRA	STEEL	7951
2	मनरेगा	0	370 01/23	M/S PATYAL TRADERS	STEEL	46805

				CHABUTRA		
3	SBM	22	1384 23.01.23	M/S J.P. ENTERPRISES CHABUTRA	BRICKS	8528
4	SBM	23	1385 01.02.23	M/S J.P. ENTERPRISES CHABUTRA	PVC PIPES WITH FITTING	13965
योग						**77249/-**

9.5 बजट प्राकलन नियमानुसार तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधार व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फ़ार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करा लिया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनांक 20.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ हेतु अनुरोध किया गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनांक 20.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित है।

प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 25/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30

2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राक्कलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
12	मस्टर रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना	--	102

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनांक 20.04.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 24/2024 दिनांक 27/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया।

जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

19 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

3496 - 3500 दि/50

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)86/2020 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

दि0/50

पैरा संख्या '4' के सन्दर्भ में

ANNEXURE - 'क'

ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर,जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

OWN SOURCES

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	278513.77	167813	446326.77	190739	255587.77
2	2023-24	255587.77	125683	381270.77	68791	312479.77

GRANTS-IN-AID

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	4168752.76	7533974.91	11702727.67	8570351.33	3132376.34
2	2023-24	3132376.34	6239189.16	9371565.50	7527013.27	1844552.23

सचिव
ग्राम पंचायत चबूतरा
वि०ख० सुजानपुर टीहरा
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

पैरा संख्या 4 में संदर्भित

परिशिष्ट "क"

ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर,जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	4447266.53	7701787.91	12149054.44	8761090.33	3387964.11
2	2023-24	3387964.11	6364872.16	9752836.27	7595804.27	2157032

सचिव
ग्राम पंचायत चबूतरा
विकास खण्ड सुजानपुर
जिला हमीरपुर

ग्राम पंचायत चबूतरा, विकास खण्ड सुजानपुर,जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)(Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	278513.77	167813	446326.77	190739	255587.77
2	2023-24	255587.77	125683	381270.77	68791	312479.77

स्वच्छ भारत मिशन (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	228913.42	228604	457517.42	457513.42	4
2	2023-24	4	1043046	1043050	1043046	4

15वां वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1822937	1527124	3350061	1718804	1631257
2	2023-24	1631257	218185	1849442	1571479	277963

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	5045765.91	5045765.91	5045765.91	0
2	2023-24	0	2879774.27	2879774.27	2879774.27	0

सचिव
ग्राम पंचायत चबूतरा
वि०ख० सुजानपुर टीरा

(Grant In Aid) Planning Head (Online)Cash Book की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1536697.92	371499	1908196.92	749499	1158697.92
2	2023-24	1158697.92	1435575	2594272.92	1260027	1334245.92

14वां वित्तायोग (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	578454	360946	939400	598769	340631
2	2023-24	340631	7096	347727	345677	2050

GIA(MPLAD) वित्तायोग (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1750.42	36	1786.42	0	1786.42
2	2023-24	1786.42	140164.89	141951.31	133604	8347.31

GIA(RGSA) वित्तायोग (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	0	0	0	0
2	2023-24	0	515348	515348	293406	221942

सचिव
ग्राम पंचायत चबूतरा

(12)

परिशिष्ट - 'ख' पैरा संख्या 7.2 के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत चबूतरा

विवाह पंजीकरण से सबंधित सुचना उपलब्ध करवाने बारे

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	बसूली हेतू राशी	बसूल की गई राशी	बकाया
1	रविन्द्र कुमार सपुत्र रमेश कुमार	22/04/2022	06/05/20222	77502	200-00	200-00	शून्य
2	पंकज कुमार सपुत्र प्रीतम चंद	02/05/2022	13/05/2022	77503	200-00	200-00	शून्य
3	दीपक कुमार सपुत्र रमेश चंद	15/04/2022	13/05/2022	77504	200-00	200-00	शून्य
4	संजीव कुमार सपुत्र मखोली राम	21/04/2022	19/05/2022	77505	200-00	200-00	शून्य
5	शिव कुमार सपुत्र रतन चंद	10/05/2022	19/05/2022	77506	200-00	200-00	शून्य
6	अस्वनी कुमार सपुत्र प्रेम दास	08/07/2022	15/07/2022	77511	200-00	200-00	शून्य
7	मनीष कुमार सपुत्र रविन्द्र कुमार	21/06/2022	15/07/2022	77512	200-00	200-00	शून्य
8	रिपन कुमार सपुत्र प्रकाश चंद	04/08/2022	20/08/2022	77513	200-00	200-00	शून्य
9	अभिसेख कुमार सपुत्र फलातु राम	26/09/2022	26/11/2022	77515 - 77516	400-00	400-00	शून्य
10	निशा देवी पत्नी कुलदीप कुमार	26/09/2022	26/11/2022	77517-77518	400-00	400-00	शून्य
11	आशीष कुमार सपुत्र किशोरी लाल	08/12/2022	24/12/2022	77524	200-00	200-00	शून्य
12	सनेश चौहान सपुत्र जयचंद	02/12/2022	24/12/2022	77526-77527	400-00	400-00	शून्य
13	चमन कुमार सपुत्र मदन लाल	26/01/2023	01/02/2023	77534	200-00	200-00	शून्य
14	विनय कुमार बलदेव सिंह	22/02/2023	02/03/2023	77541	200-00	200-00	शून्य
15	रमन कुमार सपुत्र देशराज	22/02/2023	11/03/2023	77543	200-00	200-00	शून्य
16	सुशील कुमार सपुत्र प्रेम चंद	09/03/2023	23/03/2023	77546	200-00	200-00	शून्य
17	नवीन कुमार सपुत्र कश्मीर सिंह	07/09/2023	19/04/2023	77564	200-00	200-00	शून्य
18	अक्षय राणा सपुत्र राजकुमार	03/05/2023	17/05/2023	77568	200-00	200-00	शून्य
19	अलिलम सपुत्र अशोक कुमार	11/05/2023	17/05/2023	77569	200-00	200-00	शून्य
20	रेखा देवी सपुत्री सुभाष चंद	03/05/2023	20/05/2023	77572	200-00	200-00	शून्य
21	सन्नी कुमार सपुत्र बंसी राम	13/01/2023	01/06/2023	77575	25-00	25-00	शून्य
22	शाइना ठाकुर सपुत्र दलजीत सिंह	26/06/2023	01/07/2023	77578	25-00	25-00	शून्य
23	विक्की कुमार सपुत्र अमर सिंह	18/10/2023	26/10/2023	77596	200-00	200-00	शून्य

कुल = 4850/-

सचिव
ग्राम पंचायत चबूतरा
वि०ख० सुजानपुर टीरा
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 8.1 " के सन्दर्भ में

Details of Royalti GP- Chabutra, Block Development - Sujanpur (2022-2024)

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या/ माह	कार्य का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा(कयुविक मीटर)मे	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	दर प्रति टन	देय रॉयलटी
1	15th Fin.	30	C/O Drain near the house of Swaran Kaur Groru Ranottan.	52 01.07.2023	Salochana devi, vpo Ree	Sand	2.26	1.62	3.6612	80	292.896
						Agg.	4.24	1.52	6.4448	80	515.584
2	15th Fin.	31	C/O Drain from the house of Ramesh Chand to timber Groru Ranottan.	53 02.07.2023	Salochana devi, vpo Ree	Sand	2.26	1.62	3.6612	80	292.896
						Agg.	4.24	1.52	6.4448	80	515.584
3	15th Fin.	34	C/O Drain and Upgradation Gramin Sampark Marg Roshandeen house to Bamboo Tree Gujreda.	55 02.07.2023	Salochana devi, vpo Ree	Sand	2.83	1.62	4.5846	80	366.768
						Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Stone	8.49	2.24	19.0176	80	1521.408
4	15th Fin.	35	Upgradation of Bouri Baag and Gramin Sampark Marg near bouri Ward No. 3.	56 02.07.2023	Salochana devi, vpo Ree	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	9.91	1.52	15.0632	80	1205.056
						Stone	5.66	2.24	12.6784	80	1014.272
5	SBM	21	C/O CSC Near NAAG Mandir GP Chabutra	54 02.07.2023	Salochana devi, vpo Ree	Sand	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Agg.	2.83	1.62	13.7538	80	1100.304
6	MNREGA	0	C/O Pully near Umri da Nalla Bahdmelli.	64 20.12.2021	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
						Agg.	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
						Stone	8.49	2.24	19.0176	80	1521.408
7	MNREGA	0	C/O Drain near Naval Kishore house	98	Onkar chand verma,vpo	Sand	4.24	1.62	6.8688	80	549.504

25

सचिव
ग्राम पंचायत चबूतरा
वि0ख0 सुजानपुर टीहरा

7	MNREGA	0	Chabutra.	98	verma,vpo chabutra	Agg.	7.08	1.52	10.7616	80	860.928
8	MNREGA	0	C/O Retaining wall Lal Sngh S/O Lachman DassChabutra.	99 2.03.2022	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
9	MNREGA	0	C/O Retaining wall Praveen Kumari W/O Manoj Kumar Groru Ranottan.	97 18.02.2022	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
10	MNREGA	0	C/O Drain Rajkumar house to Nalla Barbdaar.	119 29.03.2022	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
11	MNREGA	0	C/O Land dev. Retainng wall Ranjeet Singh S/O Rattan Chand.	115 29.03.22	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
12	MNREGA	0	Upgradation Sadak Bimla Devi Gujreda .	118 29.03.2022	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
						Agg.	11.32	1.52	17.2064	80	1376.512
						Stone	19.82	2.24	44.3968	80	3551.744
13	MNREGA	0	C/O Retaining wall Raj Kumar S/O Munsi Ram GUJREDA.	116 20.03.2022	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
14	MNREGA	0	C/O Retaining Wall Archna D/O Roop Lal Vill. Groru Ranottan.	120 29.03.2022	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
15	MNREGA	0	C/O Road Chalokar to Rangeela Ram House	113 29.03.2022	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Stone	5.66	2.24	12.6784	80	1014.272
16	MNREGA	0	C/O Retaining wall Denanath S/O Suddu Ram GUJREDA.	121 29.03.2022	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
					Onkar chand	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536

26

सचिव
ग्राम पंचायत चबूतरा
सुजानपुर टीरा

17	MNREGA	0	C/O Road Saluhi Malka Devi House to Nalla.	94 18.02.2022	verma,vpo chabutra	Agg.	16.99	1.52	25.8248	80	2065.984
						Stone	19.82	2.24	44.3968	80	3551.744
18	MNREGA	0	Upgradation road towards Vishan Dass Manjeet house	122 30.03.2022	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	16.99	1.62	27.5238	80	2201.904
						Agg.	33.98	1.52	51.6496	80	4131.968
						Stone	31.15	2.24	69.776	80	5582.08
19	MNREGA	0	Upgradation road towards Vishan Dass Manjeet house	123 30.03.2022	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	16.99	1.52	25.8248	80	2065.984
						Stone	22.65	2.24	50.736	80	4058.88
20	MNREGA	0	Kacha Road Ambulance road main road to Ranjeet Singh House	30 20.08.2021	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	22.65	1.62	36.693	80	2935.44
						Agg.	22.65	1.52	34.428	80	2754.24
						Boulder	16.99	1.62	27.5238	80	2201.904
21	MNREGA	0	C/O Road from Khature to Prem Mehtab And Sandhu Ram House ward No 2 Chabutra.	41 21.10.2021	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
						Agg.	11.32	1.52	17.2064	80	1376.512
						Stone	11.32	2.24	25.3568	80	2028.544
22	MNREGA	0	C/O Land Dev and Retaining wall Kishori Lal S/O Nathu Ram.	66 20.12.2021	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
23	MNREGA	0	Upgradation Path Prakash house to Chaukar Nalla W.No. 7.	62 14.03.2022	Onkar chand verma,vpo chabutra	Sand	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
						Agg.	16.99	1.52	25.8248	80	2065.984
						Stone	8.49	2.24	19.0176	80	1521.408
24	MNREGA	0	C/O Retaining wall Rajesh Kumar S/O Shakti Chand Swahal.	456	Avnish Kumar vill Paddar	Sand	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Agg.	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
25	MNREGA	0	C/O Retaining wall Brittam singh Chabutra	461	Avnish Kumar vill	Sand	5.66	1.52	8.6032	80	688.256

27

सचिव
ग्राम पंचायत चबूतरा
वि०ख० सुजानपुर टीरा

25	MNREGA	0	C/O Retaining wall Prittam singh Chabutra.	461	Kumar vill Paddar	Agg.	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
26	MNREGA	0	C/O Retaining wall Antar Chand S/O Mangat Ram Chabutra.	463	Avnish Kumar vill Paddar	Sand	2.83	5.66	16.0178	80	1281.424
						Agg.	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
27	MNREGA	0	C/O Retaining wall Meera Devi S/O Trilok Chand Chabutra.	455	Avnish Kumar vill Paddar	Sand	5.66	5.66	32.0356	80	2562.848
						Agg.	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
28	MNREGA	0	C/O Retaining wall Meera Devi S/O Trilok Chand Chabutra.	457	Avnish Kumar vill Paddar	Sand	5.66	5.66	32.0356	80	2562.848
						Agg.	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
29	MNREGA	0	C/O Road and pully Nihri road to Hoshiyar Singh House.	454	Avnish Kumar vill Paddar	Sand	5.66	5.66	32.0356	80	2562.848
						Agg.	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
						Stone	8.49	2.24	19.0176	80	1521.408
30	MNREGA	0	C/O Retaining wall Veer singh S/O Majru Ram Chabutra.	462	Avnish Kumar vill Paddar	Sand	5.66	5.66	32.0356	80	2562.848
						Agg.	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
31	MNREGA	0	C/O Water Tank Ishwar singh S/o Nikka Ram Gujreda.	465	Avnish Kumar vill Paddar	Sand	8.49	5.66	48.0534	80	3844.272
						Agg.	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
32	MNREGA	0	C/O Water Tank Seena Devi S/o Dinesh Kumar Groru Ranuta.	464	Avnish Kumar vill Paddar	Sand	8.49	5.66	48.0534	80	3844.272
						Agg.	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
33	MNREGA	0	C/O Drain Kallan Devi Hiuse to Suresh Kumar house	731	Avnish Kumar vill Paddar	Sand	8.49	5.66	48.0534	80	3844.272
						Agg.	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
34	MNREGA	0	C/O Drain road Nalla to Ranjeet Singh House.	736	Avnish Kumar vill Paddar	Sand	14.16	5.66	80.1456	80	6411.648
						Agg.	19.82	1.62	32.1084	80	2568.672
										योग	**124496.224**
										25% पेनल्टी	**31124.056**

प्रधान
ग्राम पंचायत चबूतरा
वि०ख० सुजानपुर टीरा
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

(28)

परिशिष्ट – 'ख' पैरा संख्या 9.2 के सन्दर्भ में

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि
1	मनरेगा	05/22	Ugradation community Bhawan chabutra	72722 21.04.22	Cement	12513
2	मनरेगा	05/22	Moksh Dham Cyclone Rain	72721 21.04.22	Cement	43796
3	मनरेगा	05/22	Pulli siyali puli rasta Sanjeev singh house	72726 21.04.22	Cement	28155
4	मनरेगा	05/22	Upgradation dadak pulli to bimla devi house	620 25.04.22	RCC Pipes	18223
5	मनरेगा	05/22	Road with road nalla vill barbadar	9283	Cement	68823
6	मनरेगा	05/22	Upgradation road wter tank to puli near gurdev house ward	9290 27.12.21	Cement	87592
8	14^{TH} FC	01 05/22	M/S JAI JWALA STEEL IND. SUJANPUR	308 24.03.22	STEEL DUSTBIN	21830
9	SBM	07/23	Sulakshna Traders Hamirpur	564 22.06.23	Hardware items	1926
10	SBM	07/23	Sulakshna Traders Hamirpur	563 22.06.23	Hardware items	11636
11	SBM	07/23	Sulakshna Traders Hamirpur	562 22.06.23	Hardware items	4673
12	SBM	07/23	Salochana devi vpo Ree	54 02.07.23	Sand Aggregate	12260
13	SBM	07/23	M/S J P ENTERPRISES CHABUTRA	1384 23.01.23	BRICKS	8528
14	SBM	07/23	M/S J P ENTERPRISES CHABUTRA	1385 01.02.23	PVC PIPES	13965

सचिव
ग्राम पंचायत चबूतरा
वि०ख० सुजानपुर टीरा
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

30

29

15	SBM	07/23	C/O CSC NEAR NAAG MANDIR CHABUTRA	31 28.07.23	LABOUR	25257
16	SBM	07/23	C/O CSC NEAR NAAG MANDIR CHABUTRA	35 10.08.23	LABOUR	25257
17	14TH FC	07/23	M/S J P ENTERPRISES CHABUTRA	1388 03/02/23	WALL PUTTI	3798
18	15TH FC	07/23	SLOCHANA DEVI VPO-REE	53 02.07.23	रेत, बजरी	6994
19	15TH FC	07/23	SLOCHANA DEVI VPO-REE	56 02.07.23	रेत, बजरी पत्थर	21370
20	15TH FC	07/23	SLOCHANA DEVI VPO-REE	49 01.07.23	रेत, बजरी	54660
21	15TH FC	07/23	HP CIVIL SUPPLY CORPORATION LTD. SUJANPUR	33654 07.05.23	CEMENT	36883
22	15TH FC	07/23	M/S PATYAL TRADERS CHABUTRA	19 01.07.23	BRICKS	13600
23	15TH FC	07/23	PANCHAYAT STORE CHABUTRA	30 26.07.23	LABOUR	68075
24	15TH FC	07/23	LINK ROAD UMRIDA NALA TO PAWAN KUMAR HOUSE	29 26.07.23	LABOUR	20284
	योग					610098/-

सचिव
ग्राम पंचायत चबूतरा
वि०ख० सुजानपुर टीरा
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

31

परिशिष्ट – (ड.) पैरा संख्या 9.3 के सन्दर्भ में

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	0	98 02/22	ONKAR CHAND VERMA CHABUTRA	रेत , बजरी	13550
2	मनरेगा	0	119 03/22	ONKAR CHAND VERMA CHABUTRA	रेत बजरी, सीमेंट ढुलाई	16000
4	मनरेगा	0	9283 03/22	HP CIVIL SUPPLY SUJANPUR	सीमेंट 220 बैग	68823
5	मनरेगा	0	9284 12/21	HP CIVIL SUPPLY SUJANPUR	सीमेंट 145 बैग	45360
6	मनरेगा	0	9285 12/21	HP CIVIL SUPPLY SUJANPUR	सीमेंट 74 बैग	23149
7	मनरेगा	0	66 12/21	ONKAR CHAND VERMA CHABUTRA	रेत , बजरी	13800
8	मनरेगा	0	60 12/21	ONKAR CHAND VERMA CHABUTRA	रेत, बजरी	17000
9	मनरेगा	0	65 12/21	ONKAR CHAND VERMA CHABUTRA	रेत, बजरी	13800
10	मनरेगा	0	99 03/22	ONKAR CHAND VERMA CHABUTRA	रेत, बजरी	17000
11	मनरेगा	0	9290 12/21	HP CIVIL SUPPLY SUJANPUR	सीमेंट 280 बैग	87592
12	मनरेगा	0	9289 12/21	HP CIVIL SUPPLY SUJANPUR	सीमेंट 100 बैग	31283
13	मनरेगा	0	9287 12/21	HP CIVIL SUPPLY SUJANPUR	सीमेंट 180 बैग	56309
14	मनरेगा	0	73061 02/22	HP CIVIL SUPPLY SUJANPUR	सीमेंट 100 बैग	31283
15	मनरेगा	0	102 08/21	M/S PATYAL TRADERS CHABUTRA	STEEL	7951
16	मनरेगा	0	370 01/23	M/S PATYAL TRADERS CHABUTRA	STEEL	46805
17	14^{TH} FC	01 05/22	308 24.03.22	M/S JAI JWALA STEEL IND. SUJANPUR	STEEL DUSTBIN	21830
			योग			**511535/-**

सचिव
ग्राम पंचायत चबूतरा
वि०ख० सुजानपुर टीहरा
ज़िला हमीरपुर (हि०प्र०)

52